न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –17/2023

अनवान

वीरेन्द्र सिंह पुत्र शम्भु सिंह जी, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र शम्भु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. महेन्द्र सिंह पुत्र शम्भु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. विजेन्द्र सिंह पुत्र शम्भु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. बेबी कुँवर पत्नी स्व. प्रभाकर सिंह राठौर पुत्री शम्भु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी रूपाहेली कला पोस्ट रूपाहेली कलां, जिला भीलवाड़ा राज0।
5. रूकमा कुँवर पत्नी प्रदीप सिंह चौहान पुत्री शम्भु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी छोटा रावला, पोस्ट बेटमा, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश।
6. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा

अप्रार्थीगण/विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री भूपेन्द्र कुमार पुरोहित अभिभाषक वादी
श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अभिभाषक प्रतिवादी सं0 01
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक प्रतिवादी सं0 03
प्रतिवादी संख्या 04 व 05 एकतरफा

निर्णय दिनांक 18.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी के नाम वर्तमान जमाबंदी अनुसार ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 23 खसरा संख्या 39 कुल किता 1 [illegible] हेक्टेयर लगानी 19.44 पैसे किस्म नहरी 2 सह खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है हमारी [illegible] पत्नी शम्भु सिंह जी की मृत्यु हो जाने से उक्त आराजी पर मुझ वादी व प्रतिवादीगण की प्रत्येक का हिस्सा अब 1/6 है विरासत का इंतकाल खोला जाना प्रक्रियाधीन है। वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] उक्त वर्णित आराजी का आपस में बंटवारा नहीं किया हुआ है। प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक आराजी पर काबिज हो काश्त कर रहे है, आये दिन फसल की हकाई–जुताई करते समय अकसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2026.01.19 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवाद होते रहते है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा किया जाना आवश्यक हुआ है तथा कानूनन भी आराजी का राजस्व रिकॉर्ड बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार रावतभाटा को भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है इनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। अंत में वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का बाड़ोलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 23 खसरा संख्या 39 कुल किता 01 रकबा 2.16 हैक्टेयर लगानी 19.44 पैसे किस्म नहरी 2 में वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी आराजी का बंटवारा किया जाकर इसी अनुरूप घोषणा की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश किया गया। जवाब अनुसार ग्राम देवपुरिया प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 23 खसरा संख्या 39 कुल किता 01 रकबा 2.16है0 खाते में वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आना होना तथा माता नन्द कंवर पत्नि शम्भूसिंह जी का स्वर्गतवास हो जाना स्वीकार है शेष अस्वीकार होकर कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की माता नन्द कंवर का स्वर्गवास हो जाने से तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में हमारी बहने बेबी कंवर, रूकमण कंवर का भी हिस्सा निहित है तथा वर्तमान में दोनो बहनो द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि का हक त्याग नहीं किया है तथा वर्तमान में दोनो बहने अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज है इसलिए विरासत का इन्तकाल खोला जाना न्यायोचित नहीं है।यदि वादी एवं महेन्द्र सिंह जी, विजेन्द्र सिंह जी, विरेन्द्र सिंह अपने हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाडा करवाते है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 के साथ प्रतिवादी संख्या 04 बेबी कंवर व 05 रूकमा कंवर का हिस्सा सामलाती रखते हुए बंटवाडा कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है। यदि वादी ऐसा नहीं करना चाहे तो यह वाद पत्र को खारीज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 02 ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि विवादग्रस्त आराजी का मुझ प्रतिवादी व वादी की गैर मौजूदगी में अंदाजे से बांस–बल्लियों से पूरी जमीनों को नाप कर चार हिस्से कर रखे है और मौके पर मेड भी पडी हुई है। उक्त चार हिस्सों मे से कि ससी के कम तो किसी के पास ज्यादा जमीन आ रही है । अतः अब विधि अनुसार बंटवारा कि[illegible]ते खुलवाये जाने न्यायोचित है। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 5 पक्षकारों की स[illegible] है जिन्होने अपना हक व हिस्सा छोड रखा है। उसके बावजूद भी मे[illegible]ना चाहे तो मुझ प्रतिवादी संख्या 02 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kraji Vyas
Date: 2026.01.19 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]जाद हुसैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा पेश किया। जवाब अनुसार वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 में खाता संख्या व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा संख्या नहीं लिखा गया है केवल रकबा 2.16है0 एवं लगान 19.44 ही लिखा गया है। रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि का खाता संख्या 23 व खसरा संख्या 39 रकबा 2.16है0 लगान 19.44है0 है, होने से स्वीकार है एवं श्रीमति नन्द कंवर पुत्री शम्भूसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसका विरासत का इन्तेकाल संख्या 40 दिनांक 04.07.2023 को खोला जा चुका है, इसलिये अब बंटवारा केवल वाद मे वर्णित पक्षकारों के बीच ही किया जाना है अब प्रत्येक पक्षकार का 1/6 हिस्सा होना स्वीकार है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 04 बेबी कंवर और रूकमा कंवर जो पक्षकारों की बहिने है, उन्हे भी पक्षकार बनाया गया है, वह अपना हिस्सा नहीं लेना चाहती है, इसलिए मौके पर सभी भाईयो ने आपसी सहमति से पूरी जमीनों के चार हिस्से कर रखे है, और मोके पर मेडे भी पडी हुई है और सभी भाई अपने अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है, परन्तु अब विधि अनुसार बंटवारा किया जाकर सभी के अलग अलग खाते खुलवाना चाहते है और लगान का भी बंटवारा कराना चाहते है।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रतिवादी संख्या 06 पेरोकार सरकार का जवाब वांछनीय नहीं होने से जवाब बंद किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। वाद पत्र 13.02.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 23 खसरा संख्या 39 कुल किता 1 रकबा 2.16 हैक्टेयर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,3,4,5 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 05.06.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरिया पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 23 खसरा संख्या 39 कुल किता 1 रकबा 2.16 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01,2,3,4,5 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2026.01.19 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम खातेदार का विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
	बेबी कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/6 [illegible] राहिन हि. 1/6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ भगवान सिंह पिता शम्भूसिंह 1/6 बैंक ऑफ ब[illegible] शाखा भैंसरोडगढ, महेन्द्र सिंह पिता शम्भूसिंह बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, रूकमण कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/42 बैंक	39	2.16	19.44

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

	ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, विजेन्द्र सिंह पिता शम्भूसिंह 1/6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ			
	योग	किता–1	2.16है0	19.44

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	श्री भगवान सिंह पिता शम्भूसिंह 2/3 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, बेबी कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. खातेदार राहिन हि. 1/3 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ	39/1	0.52	4.68
	योग	किता–1	0.52	4.68
2.	श्री महेन्द्र सिंह पिता शम्भूसिंह हि. 2/3 सा. खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, बेबी कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/3 जाति राजपूत सा. खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ	39/4	0.53	4.77
	योग	किता 01	0.53	4.77
3.	श्री विजेन्द्र सिंह पिता शम्भूसिंह 2/3 सा. खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, रूकमण कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/3 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ,	39/3	0.52	4.68
	योग	किता–1	0.52	4.77
4.	श्री विरेन्द्र सिंह पिता शम्भूसिंह 2/3 सा. खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ,रूकमण कंवर पुत्री शम्भूसिंह हिस्सा 1/3 सा. खातेदार जाति राजपूत राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ,	39/1	0.53	4.77
	योग	किता 01	0.53	4.77
5.	बेबी कंवर पुत्री शम्भूसिंह 1/6 जाति राजपूत सा. खातेदार राहिन हि. 1/6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ भगवान सिंह पिता शम्भूसिंह 1/6 बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, महेन्द्र सिंह पिता [illegible] शाखा भैंसरोडगढ, रूकमण कंवर पुत्री शम्भ[illegible] 1/[illegible] बैंक ऑफ बडौदा शाखा भैंसरोडगढ, [illegible] 1/6 बैंक ऑफ बडौ[illegible]	39/5	0.06	0.54
		किता–01	0.06	0.54

Signature Not Verified
Digitally signed by Kra[illegible]i Vyas
Date: 2026.01.19 12:56:34 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2026.01.19 12:56:34 IST
Reason: SelfAttested